रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022024-251748 CG-DL-E-02022024-251748

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] No. 418]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फ़रवरी, 2024

का.आ. 446(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के उपबंधों के प्रयोजन के लिए भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, प्लॉट संख्या 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 में पूरे भारत पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करती है।

- 2. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में यथा-उपबंधित फीस के साथ फ़ाइल किए गए ई-प्ररूपों को संसाधित करेगा और उन्हें निपटाएगा।
- 3. क्षेत्राधिकार रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रजिस्ट्रार के सिवाय, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के पास उन कंपनियों पर अधिकार क्षेत्र बना रहेगा जिनके ई-प्ररूप कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य सभी उपबंधों के संबंध में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा संसाधित किए जाते हैं।
- 4. यह अधिसूचना 06 फ़रवरी, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-42/46/2023-प्रशा.II-एमसीए]

अनुराधा ठाकुर, अपर सचिव

702 GI/2024 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

- **S.O.** 446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby establishes a Central Processing Centre at Indian Institute of Corporate Affairs, Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 having territorial jurisdiction all over India, for the purpose of the provisions of the said section.
- 2. The Central Processing Centre shall process and dispose off e-forms filed along with the fee as provided in the Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014.
- 3. The jurisdictional Registrar, other than Registrar of the Central Processing Centre, within whose jurisdiction the registered office of the company is situated shall continue to have jurisdiction over the companies whose e-forms are processed by the Registrar of the Central Processing Centre in respect of all other provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.
- 4. This notification shall come into force from the 6th February, 2024.

[F. No. A-42/46/2023-Ad.II-MCA] ANURADHA THAKUR, Addl. Secy.